# श्री योग वेदांत सेवा समिति, अमदावाद

संत श्री आसारामजी आश्रम, साबरमती, अमदावाद । फोन : (079) 27505010-11. www.ashram.org e-mail : ashramindia@ashram.org

दिनांक : 21-12-09

श्रीमान/सुश्री ....................................

**विषय : हिन्दू साधु-संतों के विरुद्ध पुलिस द्वारा की जा रही बर्बरता के विषय में खुला पत्र ।**

आश्चर्य है कि हिन्दुओं का आधार, हिन्दुत्व की रक्षा करनेवाले संतों पर ही पुलिस द्वारा कहर ढाया जा रहा है । ऐसे संत जो वर्षों से हिन्दुत्व को बचाने के लिए, हिन्दुत्व पर अपना सर्वस्व न्योछावर करने के लिए तैयार रहते हैं, उनको गुजरात की पुलिस चुप करवाने पर लगी हुई है ।

जुलाई 2008 में आश्रम के अहमदाबाद गुरुकुल के दो बच्चों की आकस्मिक मृत्यु हुई । पोस्टमॉर्टेम रिपोर्ट से स्पष्ट हुआ कि मृत्यु नदी में डूब जाने से हुई है । गुजरात सरकार द्वारा नियुक्त त्रिवेदी जाँच आयोग ने भी इस घटना को हत्या नहीं बताया है फिर भी 7 नवम्बर 2009 को गुजरात पुलिस की सी.आई.डी. क्राईम ब्रांच ने आश्रम के सात साधकों-संचालकों पर धारा 114 व 304 के अंतर्गत मुकदमा दायर कर दिया । 4 दिसम्बर 2009 को गुजरात हाईकोर्ट ने इस बेबुनियाद मुकदमे के लिए सी.आई.डी. क्राईम को कड़ी फटकार लगायी तथा साधकों पर कोई भी कार्यवाही करने के लिए फिलहाल रोक लगा दी है ।

घटनाक्रम की सत्यता यह होते हुए भी गुजरात के 'संदेश' अखबार द्वारा संत श्री आसारामजी बापू एवं आश्रम के विरुद्ध द्वेष एवं ईर्ष्या से प्रेरित होकर बिना सबूत के, झूठे, कपोलकल्पित, अपमानयुक्त एवं अश्लील समाचार एवं लेख छापे जाते रहे हैं । आश्रम के खिलाफ किये जा रहे षड्यंत्र का पर्दाफाश अक्टूबर 2009 में एक टीवी चैनल पर प्रसारित स्टिंग आपरेशन से हुआ, जिसमें इसी 'संदेश' अखबारवाले की आश्रम से भागे हुए राजू चांडक जैसे चरित्रहीन, गायों के चारे के पैसे चुरानेवाले, अभद्र व्यक्ति से मिली-भगत साबित हुई । जिससे बौखलाकर 'संदेश' अखबार ने 10 नवम्बर 2009 को पूज्य बापूजी को चारित्रिक रूप से बदनाम करने हेतु झूठा, बेबुनियाद एवं अत्यंत अश्लील लेख व कार्टून छापा, जिससे लाखों लोगों की धार्मिक भावनाओं को आघात पहुँचा । फलस्वरूप दिनांक 12 नवम्बर को साधकों ने अहमदाबाद शहर में मौन रैली निकालकर अहमदाबाद के कलेक्टर को 'संदेश' अखबार वाले तथा उसके साथी षड्यंत्रकारियों पर कार्यवाही करने हेतु ज्ञापन दिया । इंग्लैंड से पोस्टग्रेजुएशन करके भारत में आये हुए एक साधक श्री रामचंद्र भट्ट का हृदय इतना व्यथित हुआ कि उन्होंने दो अन्य साधकों के साथ गांधीवादी मार्ग को अपनाते हुए 12 नवम्बर को रात 10 बजे से अनशन-धरना 'संदेश' प्रेस के सामने मौनपूर्वक बैठकर चालू कर दिया । इन्हींके समर्थन में राजकोट, सूरत, भावनगर, पाटण, मेहसाणा, भरुच, बड़ौदा, गांधीनगर आदि समग्र गुजरात में जगह-जगह विशाल शांतिपूर्ण रैलियाँ निकलीं । 3 साधकों से शुरुआत कर 800 से 1000 साधकों के 15 दिन तक अनशन-धरने पर बैठने पर भी प्रशासन की ओर से उनके प्रति न तो कोई सहानुभूति दिखायी गयी, न ही षड्यंत्रकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही की गयी ।

अपनी माँगों को अब गुजरात की राजधानी गाँधीनगर तक पहुँचाने हेतु 26 नवम्बर को जनजागृति रैली आयोजित की गयी । इससे ठीक 2 दिन पहले 'संदेश' के ऑफिस से ही 40-50 तलवारें एवं अन्य हथियार पुलिस द्वारा बरामद किये गये, जिससे 'संदेश' वालों की बुरी मंशा उजागर होती है । अपने विरुद्ध हो रहे शांतिपूर्ण जन-आंदोलन का रुख मोड़ने के लिए 'संदेश' अखबारवालों ने पुलिस को साधकों के खिलाफ भिड़ाने का षड्यंत्र रच रखा था और हुआ भी ठीक ऐसा ही । 26 नवम्बर को साधकों-भक्तों ने 4 कि.मी. लम्बी यात्रा शांतिपूर्ण ढंग से पूरी की परंतु सुनियोजित षड्यंत्र के तहत 'संदेश' के गुंडों ने अंतिम पड़ाव पर साधकों जैसे कपड़े पहनकर भीड़ में घुसके पुलिस पर पथराव किया । इसके प्रत्युत्तर में क्रुद्ध पुलिस ने साधकों-भक्तों एवं आम जनता पर, जिनमें अनेकों महिलाएँ भी थीं, न सिर्फ

बुरी तरह लाठियाँ बरसायीं बल्कि उन पर आँसू गैस के 60 गोले छोड़े, जैसे ये लोग आम जनता नहीं कोई खूँखार, देशद्रोही आतंकवादी हों। इसमें सैकड़ों लोग बुरी तरह से घायल हुए। बहुत-से लोगों के हाथ-पैर में फ्रैक्चर भी हो गये। 234 साधकों-भक्तों को पुलिस ने लाठियों से पीटकर घसीटते हुए पुलिस की गाड़ियों में डालकर थाने में बंद कर दिया। पुलिस लाठीचार्ज में घायल जो लोग अस्पताल में भर्ती हुए थे, उन्हें भी मरहम-पट्टी होने के बाद सीधा अस्पताल से उठाकर जेल में डाल दिया गया। पुलिस के द्वारा पकड़े गये सभी लोगों को अगले दिन धारा 143, 147, 148, 149, 332, 333, 337, 338, 120 (B), 186, बी.पी. एक्ट कलम 135 आदि तथा हत्या से संबंधित धारा 307 के अंतर्गत कोर्ट में पेश कर जेल भिजवा दिया गया।

हिन्दू धर्म, संस्कृति में आस्था रखनेवाले इन सीधे-साधे आम लोगों को इतना कठोर दण्ड दे देने पर भी गुजरात पुलिस को संतोष नहीं हुआ। 27 नवम्बर 2009 को पुलिस की लगभग 25 गाड़ियों, 200 पुलिसकर्मियों तथा बहुत-से मीडियाकर्मियों के साथ पुलिस ने आश्रम पर अचानक धावा बोला। आश्रम में जो भी, जहाँ भी, जिस स्थिति में भी मिला- लातों, जूतों, लाठियों और बंदूक के कुंदों से बुरी तरह पीटते हुए दौड़ा-दौड़ाकर पकड़कर पुलिस की गाड़ियों में ठूँस दिया गया। आश्रम का मुख्य श्रद्धाकेन्द्र मोक्ष कुटीर, सिद्ध वटवृक्ष, मौन साधना गृह, साधक व संत निवास के कमरे, सत्साहित्य केन्द्र, आरोग्य केन्द्र (दवाखाना), टेलिफोन ऑफिस, ऋषि प्रसाद गोदाम आदि में पुलिसवालों ने स्वयं लाठियों व बंदूकों के मुट्ठों से बुरी तरह तोड़फोड़ की एवं अंदर का सामान तहस-नहस कर दिया। शो-केस व खिड़कियों के शीशे अकारण तोड़ डाले गये। बाहर से आये कितने ही जप-अनुष्ठान कर रहे वृद्ध साधकों तथा माताओं-बहनों एवं कुछ नाबालिग बच्चों को भी पीटते हुए पुलिस की गाड़ियों में भर दिया गया। यहाँ तक कि मौन मंदिर में मौन साधना-अनुष्ठान कर रहे साधकों को दरवाजे तोड़कर बालों-चोटियों से पकड़कर घसीटते हुए तथा डंडे बरसाते हुए ले जाया गया। भक्तों तथा पीले कपड़े पहने साधुओं को पुलिस ने विशेष रूप से ढूँढ़-ढूँढ़कर मारा। भजन कर रहे साधकों/साधुओं को और भी बुरी तरह से पीटा गया। चार-चार, छः-छः पुलिसवालों ने मिलकर एक-एक को मारा, क्या यही गुजरात पुलिस की इंसानियत है ? पुलिस की इस बर्बरता के आगे तो जलियाँवाला बाग की घटना भी फीकी पड़ती है। **इस समस्त घटनाक्रम का साक्षी पुलिस के साथ आया हुआ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया स्वयं है, जिन्होंने पुलिस के इस बर्बर कृत्य का प्रसारण अपने चैनलों पर किया।**

सत्साहित्य विभाग, कैसेट विभाग आदि के काउंटरों पर जो कुछ रुपये थे, वे भी पुलिस ने लूट लिये। निर्मम पुलिस की क्रूरता का यह आलम था कि कुछ साधकों को आतंकित करने हेतु पुलिस ने नदी किनारे फायरिंग भी की।

आश्रम से गांधीनगर ले जाने के बाद गाड़ियों से उतरने के स्थान से लगभग 50 मीटर दूर बंदी साधकों को मैदान में बैठाया जाना था। उस पूरे रास्ते के दोनों तरफ लट्ठधारी पुलिस के बीसों जवान जमकर साधकों पर लाठियाँ बरसा रहे थे। सबसे ज्यादा शर्म की बात तो यह है कि गांधीनगर पुलिस 200 से भी ज्यादा साधकों को 26 घंटे तक बिना किसी एफ.आई.आर., बिना किसी केस के बंदी बनाकर उनकी मार-पिटाई करती रही और भयंकर मानसिक प्रताड़ना देती रही। सारी रात गांधीनगर पुलिस भक्तों-आश्रमवासियों को शराब पीकर पीटती रही तथा दिनभर से एकादशी का उपवास रखे हुए साधकों को मांस खाने व मदिरा पीने के लिए मजबूर करने का प्रयास करती रही। संत श्री आसारामजी बापू के फोटो पर इन साधकों-भक्तों को थूकने, जूते मारने के लिए तथा बापूजी के लिए गंदी गालियाँ बोलने के लिए मजबूर करने के भी प्रयास किये गये। भक्तों-साधकों के ऐसा करने से मना करने पर उन्हें और भी पीटा गया। 27 नवम्बर को शाम के 4 बजे जिन्हें बंदी बनाया गया था, उनमें से 192 व्यक्तियों को 28 नवम्बर को शाम 6 बजे घायल अवस्था में आश्रम लाकर छोड़ा गया। उनमें से कितने ही लोगों के हाथ-पैर-सिर फूट गये थे, जिन्हें सिविल व प्राइवेट अस्पतालों में तुरंत दाखिल कराना पड़ा।

मानवता को दहला देनेवाले इस घटना के सूत्रधार 'संदेश' अखबारवाले थे, जिन्होंने बापूजी के विरुद्ध क्या-क्या आरोप नहीं लगाये, क्या-क्या साजिशें नहीं करवायीं ! सभी कुप्रचारों, षड्यंत्रों में इनके सीधे जुड़े होने की खबर

‘साजिश का पर्दाफाश’ सी.डी. द्वारा जगजाहिर हो जाने से ‘संदेश’ वालों ने कुटिलतापूर्ण चाल द्वारा रैली में अशांति फैलाकर पुलिस को आश्रम के साथ उलझा दिया और अपने पूरे आर्थिक, राजनैतिक प्रभाव का इस्तेमाल कर अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए इस पूरी घटना को इस तरह अंजाम दिया।

पुलिस का यह घिनौना आचरण मानवता व लोकतंत्र के नाम पर कलंक है। इसकी जितनी भर्त्सना की जाये कम है। आज तक कितनी ही धार्मिक एवं राजनैतिक रैलियाँ निकाली गयी होंगी, कलेक्टर को ज्ञापन दिये गये होंगे परंतु इतनी बर्बरतापूर्वक कभी भी पुलिस ने लाठीचार्ज, इतने आँसू गैस का इस्तेमाल नहीं किया होगा।

हम देश की माननीया राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, केन्द्रीय गृहमंत्री, गुजरात की राज्यपाल, मुख्यमंत्री एवं मुख्य न्यायाधीश तथा पूरे विश्व के सभी मानवतावादी संगठनों, अध्यक्ष मानवाधिकार आयोग तथा सभी पार्टियों के भले नेताओं से तत्काल इस अमानवीय कृत्य की पूरी जाँच कर दोषी व्यक्तियों के खिलाफ अविलम्ब कड़ी कार्यवाही कराने हेतु आगे आने की अपील करते हैं। परदे के पीछे से आश्रम से लड़ रहे ‘संदेश’ समाचार पत्र के मालिकों की भूमिका की भी अच्छी तरह जाँच होनी चाहिए।

पूज्य बापूजी के खिलाफ चलाये जा रहे षड्यंत्रों की पराकाष्ठा अब यहाँ तक पहुँची है कि चरित्रहीनता एवं अभद्र व्यवहार के कारण आश्रम से निकाले हुए एक व्यक्ति राजू चांडक के मात्र कह देने भर से बिना किसी सबूत एवं गवाह के बापूजी को उस पर किये गए हमले का दोषी करार देते हुए उसी दिन F.I.R. दर्ज कर दिया गया। जबकि पुलिस द्वारा २७ नवम्बर को अमदावाद आश्रम के साधकों की बेरहमी से की गयी पिटाई एवं आश्रम में तोड़फोड़ के बारे में बार-बार निवेदन करने के बावजूद अभी तक कोई भी F.I.R. दर्ज नहीं की गयी।

आश्रम की निवाई गौशाला, जिसमें कत्लखाने जाते हुए बचायी गयी हजारों गायों की सेवा की जा रही है, वहाँ से गायों के चारे के लाखों रुपये चुरानेवाले, चरित्रहीन राजू चांडक द्वारा इस मामले में बापूजी तथा उनके दो साधकों पर संदेह करना एकदम झूठा, आधारहीन तथा पूर्वाग्रह से ग्रस्त आरोप है। सच्चाई तो यह है कि 4 दिसम्बर 2009 को गुरुकुल के बच्चों की आकस्मिक मृत्यु की जाँच कर रहे त्रिवेदी जाँच आयोग में आश्रम के वकील ने राजू चांडक से जिरह (उलट तपास) करने की अनुमति माँगी थी जिसे माननीय जज साहब ने स्वीकार कर लिया था। इससे इसकी बापूजी के चरित्र को लेकर की गयी झूठी, बेबुनियाद बयानबाजी की पोल जल्दी ही खुलनेवाली थी तथा इसके ‘साजिश का पर्दाफाश’ सी.डी. में कबूले गये तमाम कुकर्मों पर से तथा पूज्य बापूजी के खिलाफ उसके द्वारा किये गये तमाम षड्यंत्रों पर से पर्दा हटनेवाला था। इसी भय से घबराकर लोगों का ध्यान उधर से हटाने के लिए तथाकथित गोलीकांड संभवतः राजू चांडक अथवा ‘संदेश’ अखबारवालों के षड्यंत्र की एक नई चाल है, जिसके द्वारा वे बापूजी पर इसका आरोप लगाकर उन्हें एक नये विवाद में फँसाना चाहते हैं। ऐसे में राजू चांडक जैसे अपराधी के कह देने मात्र से एक विश्ववंदनीय बापूजी जैसे संत पर पुलिस द्वारा हत्या के षड्यंत्र जैसा संगीन आरोप लगाना कितना अन्यायपूर्ण एवं आधारहीन है यह सभी लोग समझ सकते हैं।

हम सब संगठनों के अलावा देश के सभी धर्मों, संप्रदायों के आदरणीय आचार्यों से भी अपील करते हैं कि अपनी संस्कृति पर अत्यंत सुनियोजित ढंग से हो रहे आक्रमण के विरोध में वे भी हमारे साथ आयें ताकि समय रहते इसका मुँहतोड़ जवाब देकर हम अपने देश, समाज, संस्कृति तथा अस्तित्व की रक्षा कर सकें, इसी आकांक्षा के साथ...

भवदीय